न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 39/2021
दायर दिनांक :– 25.06.2021

अनवान

गीलूराम पिता कजोड धोबी नि. सररिया तह. जहाजपुर

वादी........

बनाम

1. अशोक पिता रामचन्द्र धोबी नि. सररिया तह. जहाजपुर
2. लक्ष्मण पिता रामचन्द्र धोबी नि. सररिया तह. जहाजपुर
3. सन्तरा पिता रामचन्द्र धोबी नि. सररिया तह. जहाजपुर
4. कमला बेवा रामचन्द्र धोबी नि. सररिया तह. जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री अखलाक खान, वकील वादी

:: निर्णय :: दिनांक 07.09.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसके अनुसार तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया था कि ग्राम गणेशपुरा प. ह. सरसिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 200/1 कुल किता 01 रकवा 05–00 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे, जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर द्वारा जरिये पत्र दिनांक 17.08.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के विरूद्व पूर्व मे एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :–

ग्राम गणेशपुरा प. ह. सरसिया तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	गीलूराम पिता कजोड धोबी सा. सरसिया खातेदार	200/1 में से	0.4047	बारानी II	1.25
		कुल किता 1	0.4047		1.25
2.	अशोक पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, लक्ष्मण पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, सन्तरा पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, कमला बेवा रामचन्द्र धोबी 1/4 सा. सरसिया खातेदार	200/1 में से	0.4047	बारानी II	1.25
		कुल किता 1	0.4047		1.25

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर [illegible])
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

गीलूराम पिता कजोड धोबी नि. सरसिया तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. अशोक पिता रामचन्द्र धोबी नि. सरसिया तह. जहाजपुर
2. लक्ष्मण पिता रामचन्द्र धोबी नि. सरसिया तह. जहाजपुर
3. सन्तरा पिता रामचन्द्र धोबी नि. सरसिया तह. जहाजपुर
4. कमला बेवा रामचन्द्र धोबी नि. सरसिया तह. जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 53, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 39/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री अखलाक खान का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिकी निम्नानुसार जारी की जाती है कि :–

ग्राम गणेशपुरा प. ह. सरसिया तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रूपये)
1	गीलूराम पिता कजोड धोबी सा. सरसिया खातेदार	200/1 में से	0.4047	बारानी II	1.25
		कुल किता 1	0.4047		1.25
2.	अशोक पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, लक्ष्मण पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, सन्तरा पिता रामचन्द्र धोबी 1/4, कमला बेवा रामचन्द्र धोबी 1/4 सा. सरसिया खातेदार	200/1 में से	0.4047	बारानी II	1.25
		कुल किता 1	0.4047		1.25

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.09.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner